न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 24/2018
किस्म :– वाद–पत्र
दायर दिनांक : 17.02.2018
निर्णय दिनांक : 26.02.2026

अनवान

1– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

वादी

बनाम

1– प्रबन्धक सिन्देसर खुर्द माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2– लक्ष्मी लाल पिता टेकचंद जाति ब्राहम्ण निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
3– राधा किशन पिता जगंनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
4– शंकर पिता नाराण जाति ब्राहम्ण निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
5– रूपलाल पिता जसराज जाति ब्राहम्ण निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
6– भगवान पिता जसराज जाति ब्राहम्ण निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
7– इन्द्रमल पिता विजयराम जाति ब्राहम्ण निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
8– मांगीलाल पिता गणेश जाति गाडरी निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
9– भेरूलाल पिता लच्छी जाति गाडरी निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
10–कृपाशंकर पिता हीरा जाति ब्राहम्ण निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
11–जगनाथदास पिता कालुराम जाति वैरागी निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
12–मोहन पिता जगनाथ जाति लुहार निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– वादी अधिवक्ता– पैरोकार सरकार
प्रतिवादीगण अधिवक्ता– किशनलाल जाट, राकेश सनाढ्य

निर्णय

वादी कि ओर से जरिये अधिवक्ता वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सिन्देसर खुर्द पटवारी हल्का राजपुरा तहसील रेलमगरा में स्थित क्रमशः आराजी संख्या 1106, 1242/1103 रकबा 121.00, 5.00 बिघा भूमि प्रबन्धक सिन्देसर खुर्द माईस वगैराह के नाम पर राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 75 के खाता संख्या 372, 367 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि आराजी संख्या 1106, 1242/1103 में रकबा 22.00 बिघा 5.00 बिघा भूमि मौके पर S.K माईस द्वारा मशिनरी व लौहे के पाईप, सरिये, गर्डरे व आवासीय 10 कन्टेनर निवास एवं उसका उधोग उपयोग किया जा रहा है। यह कि विपक्षी द्वारा अपनरी खातेदारी की उपरोक्त आराजी के रकबे पर S.K.माईस द्वारा मशिनरी व लौहै के पाईप, सरिया, गर्डर व आवासीय 10 कन्टेनर विपक्षी द्वारा उक्त भूमि का रूपान्तरण नही करवाया है। एवं न ही सक्षम अधिकारी से विधिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। यह कि विपक्षी द्वारा उक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से गैर कृषि रूप में उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियम/राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानो का उल्लधंन होकर अतिचारी के रूप में आता है। यह कि विपक्षी के नाम की उक्त खातेदारी भूमि के उक्त आराजी के रकबे पर जहां S.K.माईस द्वारा मशिनरी व लौहै के पाईप, सरिया, गर्डर व आवासीय है व उसके किस्म रूप में अलग रूप से में जो भू– भाग उपयोग में लिया जा रहा है वह भाग का रकबा बिलानाम सरकार कराने के साथ ही विपक्षी के उक्त रकबे से मशिनरी व लौहै के पाईप, सरिया, गर्डर व आवासीय 10 कन्टेनर में निवास के रूप में अतिक्रमण बेदखली योग्य है। यह कि वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से बिना भूमि रूपान्तरित करवाये उसका अवैधानिक उपयोग किया जा रहा है। जिसके संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवाधिकार व क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है। यह कि उक्त संबंध में प्रार्थी की ओर से विपक्षी को सूचित किया गया एवं उनका अवैध मशिनरी व लौहै के पाईप, सरिया, गर्डर व आवासीय 10 कन्टेनर व अवासी के संबंध में भी पटवारी हल्का द्वारा जांच की गई व मौका पर्चा तैयार किया गया जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। यह कि विपक्षी को अपना उक्त अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये कहा गया एवं उनके द्वारा अब तक भी अपना अवैधानिक उपयोग करना बंद नही किया गया जो प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्नन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि प्रार्थना पत्र राज्यहित में होने से निः शुल्क न्यायालय फिस पर अन्दर अवधि आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम सिन्देसर खुर्द पटवारी हल्का राजपुरा की आराजी संख्या 1106, 1242/1103 रकबा 121.00, 5.00 बिघा पर विपक्षी 22.00 बिघा, 5.00 बिघा S.K.माईस दरीबा द्वारा बिना वैध स्वीकृति क मशिनरी व लौहै के पाईप, सरिया, गर्डर व आवासीय 10 कन्टेनर निवास राजस्व प्रावधानों एवं नियमों का उल्लघंन किया है। जिससे उक्त भूमि का भाग बिलानाम सरकार घोषित किया जावें, तथा विपक्षी के विरूद्व S.K.माईस दरीबा द्वारा बिना वैध स्वीकृति क मशिनरी व लौहै के पाईप, सरिया, गर्डर व आवासीय 10 कन्टेनर निवास हटाने के संबंध में बेदखली के आदेश फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादीग को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण कि और से जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 जिस

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

प्रकार की दर्शाई गई हैं गलत होकर अस्वीकार है क्योकि राजस्व ग्राम सिन्देसर खुर्द पटवारी हल्का राजपुरा तहसील रेलमगरा में स्थित आराजी संख्या 1106, 1242/1103 रकबा 121.00, 5.00 बीघा किस्म बंझड, बारानी तृतीय भूमि समस्त आसामियान मौजा सिन्देसर खुर्द खातेदार, मोहनलाल पिता जगन्नाथ लोहार सहखातेदार के नाम पर राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 से खाता पर दर्ज है न कि प्रबन्धक सिन्देसर खुर्द माईन्स के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 372, 367 पर दर्ज है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में गलत होकर अस्वीकार है। क्योंकि उक्त कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि आराजी संख्या 1106, 1242/1103 में रकबा 22.00 बिघा, 5.00 बिघा भूमि एस. के. माईन्स मशिनरी, व लोहे, के पाईप, सरिया, गर्डरे आवासीय 10 कन्टेनर निवास एवं उसका उपयोग उपभोग किसी भी प्रकार से नही किया जा रहा है एवं उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 02 से लगायत 12 द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। उक्त भूमि में एक फसल होती है जैसे जवार, तिलहन आदि। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 02 से लगायत 12 का आना जाना कम होता है क्योकि विपक्षी संख्या 02 से 12 की अन्य भूमि से आउट साईट में है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 जिस प्रकार दर्शाया गया है गलत होकर अस्वीकार है। क्योकि उपरोक्त आराजी संख्या 1106, 1242/1103 रकबा 121.00 बिघा, 5.00 बिघा, किस्म बंझड, बारानी, तृतीय भूमि पर एस. के. माईन्स द्वारा मशिनरी व लौहै के पाईप, सरिया, गर्डर व आवासीय 10 कन्टेनर किसी भी प्रकार का कार्य नही किया जा रहा है। तो विपक्षी द्वारा उक्त भूमि का रूपान्तरण करवाने की आवश्यकता नही होगी एवं न ही सक्षम अधिकारी से विधिक स्वीकृति प्राप्त करने की जरूरत होगी। उक्त भूमि समस्त आसामियान मौजा सिन्देसर खुर्द खातेदार मोहनलाल पिता जगन्नाथ लोहार सा. देह खातेदार के नाम पर दर्ज है। आराजी संख्या 1106 रकबा 121.00 बिघा किस्म बंझड बारानी तृतीय भूमि समस्त ग्रामवासीयान की है तथा कोई भी कार्य होता है तो ग्रामवासीगण की पुर्ण सहमति स्वीकृति व सक्षम अधिकारी से विधिक स्वीकृति भी प्रस्ताव पारित करके ही की जाती है। कृषि भूमि में कृषि कार्य करने के लिए रूपान्तरण व सक्षम अधिकारी से विधिक स्वीकृति की आवश्यकता नही होती है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 जिस प्रकार दर्शाया गया है गलत होकर अस्वीकार है। क्योकि उक्त भूमि कृषि भूमि है जिस पर समस्त ग्रामवासीगण उपयोग उपभोग व कृषि कार्य करते है, मोहनलाल पिता जगन्नाथ लोहार की कृषि भूमि है, जिस पर उपयोग उपभोग व कृषि कार्य स्वंय मोहनलाल द्वारा किया जा रहा है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध रूप से गैर कृषि में उपयोग नही किया जा रहा है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नही रहती है न ही विपक्षी द्वारा राजस्थान काश्तकारी नियम राजस्व लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधानो का उल्लघन किया हो तो न ही विपक्षी अतिचारी के रूप में आता है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 जिस प्रकार दर्शाया गया है जो गलत होकर अस्वीकार है। क्योंकि विपक्षी के नाम की उक्त खातेदारी भूमि के उक्त आराजी के रकबे पर एस.के.माईन्स द्वारा मशीनरी व लोहे के पाईप, सरिये, गार्डर व आवासीय दस कन्टेनर

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

का कार्य नही किया जा रहा है। उक्त आराजी भूमि कृषि भूमि होने से उक्त भूमि पर समस्त आसामीयान मौजा सिन्देसर खुर्द व मोहनलाल द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है तो कृषि भूमि से बेदखल नही किया जा सकता है, और अतिकमी भी नही कहा जा सकता है। जब कृषि भूमि का किसी भी प्रकार से व अवैध रूप से व गैर कृषि रूप में उपयोग नही किया जा रहा है, तो उक्त आराजी के रकबे को बिलानाम सरकार घोषित नही किया जा सकता है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 06 का उक्त पैरा गलत होकर अस्वीकार है। क्योकि वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार से अवैध रूप से व अवैधानिक उपयोग नही किया जा रहा है। निम्न पेरा स्वीकार है। क्योकि श्रवाधिकार व क्षैत्राधिकार कानुनी बिन्दु है जिसके जवाब की आवश्यकता नही होती है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 गलत होकर अस्वीकार है। क्योकि प्रार्थी की ओर से विपक्षी को सुचित किया तो उसका जवाब भी विपक्षी द्वारा प्रार्थी की को दे दिया गया और पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में मनमकसुद तरिके से झुठी तैयार कर आप श्रीमान के यहा प्रस्तुत की है। जो हम विपक्षीगण के विरूद्व होने रद्व होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 08 गलत होकर अस्वीकार है। क्योकि उक्त आराजी के रकबे पर किसी भी प्रकार का अवैध व गैर कृषि कार्य नही किया जा रहा है न ही किसी प्रकार का अवैध अतिकमण कर रखा है तो हटाने की बात ही पैदा नही होती है। जब विपक्षी द्वारा उक्त भूमि पर अवैधानिक उपयोग ही नही किया जा रहा है तो अवैधानिक उपयोग का बंद करने की बात पैदा ही नही होती है न ही किसी भी प्रकार का अवैध उपयोग उपभोग करने के लिए प्रार्थी द्वारा विपक्षी को मना किया हो न ही किसी प्रकार का अतिकमित भाग उक्त भूमि पर हो तो प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न ही नही होता है ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। दौराने बहस पत्रावली एंव उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। तो जाहीर आया कि ग्राम सिन्देसर खुर्द पटवारी हल्का राजपुरा तहसील रेलमगरा में स्थित कमशः आराजी संख्या 1106, 1242/1103 रकबा 121.00, 5.00 बिघा भूमि प्रबन्धक सिन्देसर खुर्द माईस वगैराह के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार से अवैध कार्य किये जाने से अपने जवाब में भी मना किया जा चुका है। पटवारी हल्का राजपुरा से भी वर्तमान मौका रिपोर्ट ली गई। पटवारी रिपोर्ट में भी ग्राम सिन्देसर खुर्द के आराजी संख्या 1106, 1242/1103 के मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नही होकर मौके पर पडत पडी हुई है। जिससे वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार से अवैध रूप से व अवैधानिक उपयोग नही किया जा रहा है। उक्त भूमि पर समस्त खातेदारान द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है तो कृषि भूमि से बेदखल नही किया जा सकता है, और

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतिक्रमी भी नही कहा जा सकता है। जब कृषि भूमि का किसी भी प्रकार से व अवैध रूप से व गैर कृषि रूप में उपयोग नही किया जा रहा है, तो उक्त आराजी के रकबे को बिलानाम सरकार घोषित नही किया जा सकता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराने में असफल रहने प्रार्थी का प्रार्थना निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा